



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
पोस्ट-फाटोडा, मडगाँव, दक्षिण गोआ 403602

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES
OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES
P.O. Fatorda, Madgaon, South Goa – 403602

संख्या: 6(2)2012-गोवा/भाग-2

IBM Reg. No. IBM/160/2011

दिनांक : 03-03-2016

सेवामें

श्री मोहन वलीमल राघवन, मेनेजिंग डायरेक्टर,
मेसर्स भूमि रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड,
न. 671, निवास श्री एन. जी. जामबोटीकर,
मेंगो मेड्यू क्रोस, खानपुर रोड,
तिलकवाडी, बेलगावी-590006

विषय: गोवा क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन स्थित खानों से किये गए खनिज के व्यापार, भंडारण एवं निर्यात के उपरान्त खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम का उल्लंघन।

महोदय,

इस कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड्स की जांच के उपरान्त पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
45(6)(i)	Any person or company engaged in trading or storage or end-use or export of minerals, shall submit to the Indian Bureau of Mines and concerned State Government, where the said person or company is sourcing the minerals, the returns in the following manner, namely:- A monthly return which shall be submitted before the 10th of every month in respect of preceding month in Form N; IBM has already developed website for online submission of monthly return in Form-N; however it is found while checking the office records & monthly returns of Girgaon bauxite mine of M/s Bhartesh Construction & Girgaon-Ringewadi bauxite mine of M/s Shivram Minerals falling in Kolhapur district of Maharashtra district that you have involved in trading of bauxite and not submitted the monthly return in Form-N since notification of Amended Rule 45 of MCDR 1988 i.e. February 2011.
45(6)(ii)	An annual return which shall be submitted before the 1st July each year for the preceding financial year in the Form O. IBM has already developed website for online submission of annual return in Form-O; however it is found while checking the office records & annual returns of Girgaon bauxite mine of M/s Bhartesh Construction & Girgaon-Ringewadi bauxite mine of M/s Shivram Minerals falling in Kolhapur district of Maharashtra district that you have involved in trading of bauxite and not submitted the annual return in Form-O since notification of Amended Rule 45 of MCDR 1988 i.e. 2010-11 onwards.

02. इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध हैं।
03. उपरोक्त नियम की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 45(7)(ii) के तहत राज्य सरकार को आपके सभी व्यापार लाइसेन्स, भंडारण लाइसेन्स और / या निर्यात लाइसेन्स को निलंबित करने की अनुशंसा की जा सकती है।
04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिती की जानकारी इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 (तीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(गिरीश कुमार जांगिड)
उप खान नियंत्रक

प्रतिलिपी सूचनार्थ : 1. खान नियंत्रक (द. आ.) भारतीय खान ब्यूरो, बैंगलूरु
2. उप निर्देशक, भूविज्ञान एवं खान विभाग, नागलापार्क, कोल्हापुर- 416003

(गिरीश कुमार जांगिड)
उप खान नियंत्रक

फोन : 0832-2741757 फेक्स : 0832-2741758
ई-मेल : ro.goa@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
स्पीड पोस्ट



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
पोस्ट-फाटोडा, मडगाँव, दक्षिण गोआ 403602

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES
OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES
P.O. Fatorda, Madgao, South Goa – 403602
